अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय - IV
लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी सहित एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रभावी व परिचालनात्मक रिपोर्ट हो, तो वह सरकार को रणनीतिक आयोजना एवं निर्णय लेने सहित उसकी बुनियादी प्रबंधन जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना

सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों पर ब्याज उपलब्ध करा कर उसका भुगतान करना सरकार की देयता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2022 तक सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों में रखी ₹ 64.09 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 4.75 करोड़ का भुगतान अपेक्षित था, जैसाकि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है। ब्याज देयताओं का भुगतान न करना इस अधिकतम सीमा तक राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

तालिका 4.1: सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं का निर्वहन न करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सब्याज निक्षेप का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष राशि	ब्याज गणना का आधार	प्रावधान न की गई ब्याज राशि
1.	सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना	14.30	सरकार/सामान्य भविष्य निधि द्वारा अधिसूचित ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	1.02
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	49.79	2022-23 के दौरान अधिविकर्ष की औसत दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज की गणना 7.49 प्रतिशत की दर से की गई।	3.73
योग		**64.09**		**4.75**

स्रोत: वित्त लेखे

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को बड़ी निधियां सीधे अंतरित करती रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने का निर्णय लिया। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान 39 केंद्रीय योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) के तहत ₹ 2,938.36 करोड़ राज्य की समेकित निधि को अनदेखा करते हुए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 4.1** में विवर्णित है। कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089.50 करोड़) एवं सहायता-अनुदान (₹ 16,733.93 करोड़) का यह क्रमशः 7.71 प्रतिशत व 17.56 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान वे केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें सीधे अंतरित निधियां ₹ 500 करोड़ से अधिक थी, वे थीं जल जीवन मिशन (₹ 1,345.34 करोड़) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹ 662.32 करोड़)।

वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के अंतर्गत मात्र ₹ 4,736.66 करोड़ दर्शाए गए। ₹ 2,938.36 करोड़ की अधिकतम सीमा तक राज्य सरकार के बजट व व्यय को अनुबंधित करने के अतिरिक्त जनता के लिए सृजित परिसंपत्तियां व व्यय राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं थे, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 से संबंधित नियम 157 में निर्धारित हैं कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं अथवा संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों की प्रयुक्ति का आश्वासन न मिलने का परिचायक है एवं लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2023 तक ₹ 4,242.51 करोड़ राशि के कुल 4,106 उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे **(परिशिष्ट 4.2)**। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया **तालिका 4.2** व **तालिका 4.3** में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.2: उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2020-21 तक	1,796	2,359.16	755	1,722.97	1,041	636.19
2021-22	1,823	2,392.99	604	1,340.26	1,219	1,052.73
2022-23	17,267	4,980.79	15,421	2,427.20	1,846	2,553.59
योग	**20,886**	**9,732.94**	**16,780**	**5,490.43**	**4,106**	**4,242.51**

स्त्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

टिप्पणी: 2021-22 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्र केवल 2022-23 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2016-17	80	31.15
2017-18	153	80.13
2018-19	400	269.74
2019-20	408	255.17
2020-21	1,219	1,052.73
2021-22	1,846	2,553.59
योग	**4,106**	**4,242.51**

चार्ट 4.1: 31 मार्च 2023 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

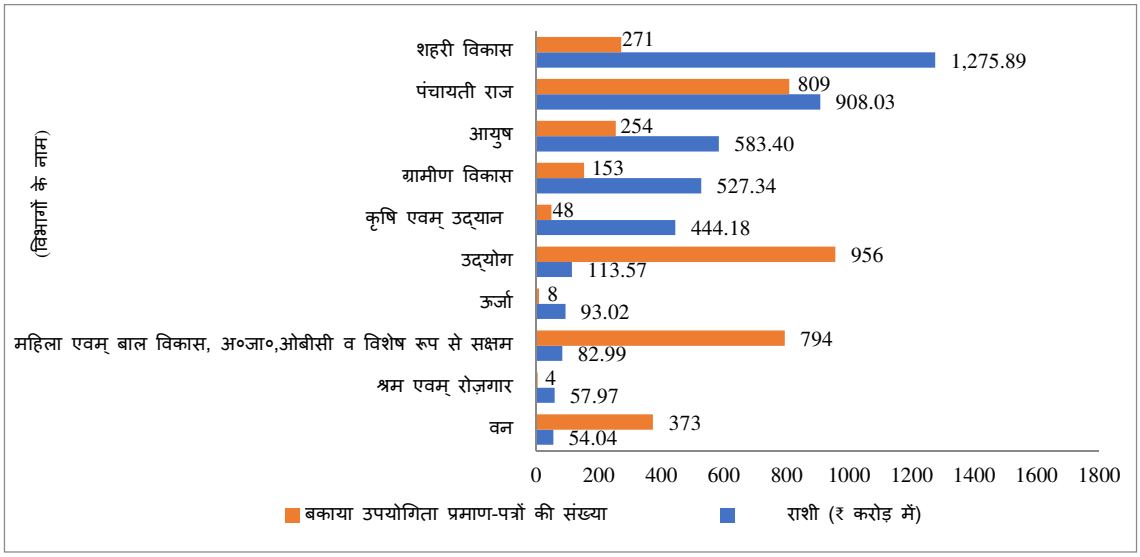

चार्ट 4.1 से प्रमाणित होता है कि ₹ 3,738.84 करोड़ अर्थात् कुल बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का 88.13 प्रतिशत (₹ 4,242.51 करोड़) पांच विभागों, यथा- शहरी विकास (30.07 प्रतिशत, ₹ 1,275.89 करोड़), पंचायती राज (21.40 प्रतिशत, ₹ 908.03 करोड़), आयुष (13.75 प्रतिशत, ₹ 583.40 करोड़), ग्रामीण विकास (12.43 प्रतिशत, ₹ 527.34 करोड़) एवं कृषि व उद्यान

विभाग (10.47 प्रतिशत, ₹ 444.18 करोड़) से संबंधित थे। हालांकि ₹ 4,242.51 करोड़ के अनुदानों के कुल 4,106 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,688.92 करोड़ के अनुदानों के 2,260 उपयोगिता-प्रमाणपत्र वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि से संबंधित थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित सात विभागों के तहत अगस्त 2023 तक ₹ 2,498.27 करोड़ राशि के बकाया 2,253 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,426.53 करोड़ (37.15 प्रतिशत) राशि के 601 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को ठोस (भौतिक) लेखापरीक्षा/नमूना-जांच हेतु चुना गया:

(i) शहरी विकास (81 उपयोगिता-प्रमाणपत्र- ₹ 744.54 करोड़),
(ii) पंचायती राज (91 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 491.24 करोड़),
(iii) ग्रामीण विकास (75 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 101.23 करोड़),
(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (41 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 41.18 करोड़),
(v) महिला एवं बाल विकास (राज्य महिला आयोग) (265 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 18.77 करोड़),
(vi) उद्यान (12 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 18.10 करोड़) तथा
(vii) भाषा, कला व संस्कृति (36 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 11.47 करोड़)।

इन सात विभागों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि ₹ 1,426.53 करोड़ राशि के 601 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों, ₹ 323.24 करोड़ राशि के 387 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का सहायक दस्तावेजों (अर्थात सह-वाउचर, बिल आदि) के साथ पूर्णतः या आंशिक उपयोग किया गया। ₹ 1,103.29 करोड़ के शेष 214 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का भी आंशिक/पूर्ण उपयोग/निपटन किया गया परन्तु विभाग के पास सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसी) कार्य पूर्ण होने पर उपयोग की गई अधिकतम राशि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र विभागाध्यक्षों को भेजते हैं। हालांकि विभागाध्यक्ष स्तर पर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों एवं अनुदेयी द्वारा उपयोग की गई राशि का स्वीकृत अनुदान के साथ मिलान/सह-संबंधन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतीत होता है कि विभागाध्यक्षों ने इसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अग्रेषित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ये उपयोगिता-प्रमाणपत्र लेखाओं में बकाया के रूप में दर्शाए गए। इसका कारण भी विभिन्न स्तरों पर अनुदानों की स्थिति का मिलान एवं निगरानी का अभाव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उपरोक्त विभागों के अभिलेखों की भौतिक/नमूना-जांच से निम्नलिखित बिन्दु भी प्रकट हुए :

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को भेजा जाए।
- स्वीकृतियां इस हद तक अपूर्ण पाई गईं कि अधिकांश स्वीकृतियों में (i) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवधिकता, (ii) अनुदान आवर्ती है या गैर-आवर्ती, एवं (iii) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था या नहीं, इसका उल्लेख नहीं था।

- अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) को दिए गए कुल अनुदान एवं विभाग को प्राप्त आंशिक रूप से उपयोग की गए अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के मध्य मिलान/सह-संबंधन का अभाव था। जिसका कारण सहायक दस्तावेजों के बिना आंशिक अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण था।

उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध ढंग से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्रास्थिति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए तथा उसका मिलान कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से किया जाना चाहिए।

4.4 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक की उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिल के माध्यम से सेवा शीर्षों से डेबिट करते हुए धन का आहरण करने का अधिकार होता है। नियम 187 में आगे अप्रत्याशित परिस्थितियों हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए सार आकस्मिक बिलों से आहरण करने का प्रावधान है, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा एक समय में केवल एक अग्रिम प्रदान/पारित किया जा सकता है। यह सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी की अग्रिम को जिस वित्तीय वर्ष में आहरित किया गया है उसी वर्ष में समायोजित किया जाए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी अग्रिमों को अलग-अलग अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वे इस बात की निगरानी करेंगे कि इनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लेखांकन किया गया है। अग्रिम भुगतान रजिस्टर लगातार संचालित किया जाना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूली/समायोजित की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो जाते। विस्तृत आकस्मिक बिल विलम्ब से जमा करने या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता व शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

राज्य सरकार के साथ बार-बार पत्राचार करने के पश्चात अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से समायोजन हेतु पृथक चिह्नित करने एवं कोड बनाने (संहिताकरण) के लिए तंत्र लागू किया।

पाया गया कि वर्ष 2022-23 (अक्टूबर 2022 से) के दौरान ₹ 13.77 करोड़ राशि के आहरित कुल 245 सार आकस्मिक बिलों में से ₹ 0.15 करोड़ राशि के 49 सार आकस्मिक बिल (20 प्रतिशत) मार्च 2023 में आहरित किए गए। चार सार आकस्मिक बिलों का आहरण मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मॉडर्न सेंट्रल जेल कार्यालय, नाहन (जिला सिरमौर), हिमाचल प्रदेश द्वारा आहरित ₹ 0.02 करोड़ का एक सार आकस्मिक बिल, जो 31 मार्च 2023 तक समायोजन/विस्तृत आकस्मिक बिल हेतु लंबित था, अगस्त 2023 तक उसका समायोजन/निपटान कर दिया गया।

4.5 व्यक्तिगत लेज़र/निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 का नियम 69 व 70, प्रधान महालेखाकार के परामर्श पर वित्त विभाग के आदेश पर व्यक्तिगत लेज़र लेखा खोलने का प्राधिकार प्रदान करता है। वित्त विभाग ऐसा विशेष आदेश या अनुमति तब जारी या प्रदान करेगा जब वह संतुष्ट हो जाए कि व्यक्तिगत लेज़र लेखा में रखे जाने वाले एवं संवितरित धन का प्रारंभिक लेखा उचित रूप से अनुरक्षित है तथा उसकी लेखापरीक्षा की गई है। खोले जाने हेतु अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत लेज़र लेखा सरकार के लोक लेखा का भाग होगा।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर ₹ 1.76 करोड़ राशि 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष के रूप में थी **(परिशिष्ट 4.3)**। वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाई गई है:

तालिका 4.4: 31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (मुख्य शीर्ष 8443-106) की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान समापन/आहरण		31.03.2023 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		अपरिचालित लेखे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
106	1.74	01	0.65*	39**	0.63**	68	1.76	64	1.61	04	0.15

* *निक्षेप की कुल ₹ 1.01 करोड़ प्राप्तियों में से (₹ 4,900/- राशि वाले एक नए लेखे सहित), ₹ 0.36 करोड़ व्यपगत निक्षेप थे।*

** *मुख्य शीर्ष 8448-109-पंचायत निकाय निधि (38 व्यक्तिगत निक्षेप लेखा: ₹ 0.03 करोड़) व आईसीएआर के 8448-106 कोष (एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा: शून्य राशि) से संबंधित निक्षेप लेखे, जिनकी राशि ₹ 0.03 करोड़ है, को व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की सूची से अलग कर दिया गया है एवं एक अलग सूची में रखा गया है क्योंकि वे व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की श्रेणी/वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 0.60 करोड़ का उपयोग/आहरण किया गया।*

कुल 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 64 प्रचालित थे जबकि चार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा प्रारंभ किया गया एवं 39 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बंद किए गए क्योंकि ये व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की श्रेणी/वर्गीकरण में नहीं आते।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) में प्रावधान है कि वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप/लेज़र लेखा के प्रबंधक से इस आशय का, कि दावा किया गया शेष उसी राशि का है एवं कोषागार के आंकड़ों से मेल खाता है, एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें। उपरोक्त नियम की अनुपालना में 68 प्रबंधकों में से 66 ने कोषागार के साथ उसके शेष का मिलान व सत्यापन किया एवं कोषागार अधिकारी/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को वार्षिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए, जबकि दो प्रबंधक (जिला आयुक्त के सहायक आयुक्त, कांगड़ा व उप-मंडलाधिकारी, डोडरा क्वार) ने कोषागार के आंकड़ों के साथ उसके शेष का मिलान व सत्यापन नहीं किया। हालांकि इन दोनों लेखाओं में शेष 'शून्य' है।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष रखने का अर्थ है कि व्यय में अधिकतम शेष तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने एवं व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित शेष राशि से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

4.6 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अस्पष्ट बनाते हैं। इस बहुउद्देशीय लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं व व्यय की गुणवत्ता के सटीक विश्लेषण को विकृत करता है।

पाया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 28 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया व्यय घटकर ₹ 654.61 करोड़ हो गया, जो कुल राजस्व का 1.30 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 के दौरान 5.34 प्रतिशत) था एवं वर्ष 2021-22 के दौरान 41 मुख्य शीर्षों (**परिशिष्ट 4.4**) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय (₹ 50,454.15 करोड़) ₹ 2,255.53 करोड़ तक घट गया, इसमें से 11 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत उल्लेखनीय व्यय (20 प्रतिशत व अधिक) बुक किया गया। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 62 प्रतिशत बुकिंग चार मुख्य शीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष-2230: ₹138.89 करोड़, मुख्य शीर्ष-2235: ₹ 99.05 करोड़, मुख्य शीर्ष-4851: ₹ 111.86 करोड़ व मुख्य शीर्ष-5452: ₹ 58.88 करोड़ में की गई है।

हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षों के तहत 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग विगत वर्ष के 46 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,957.37 करोड़ से ₹ 2,289.91 करोड़ हो गई (**परिशिष्ट 4.5**)। यह कुल राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 38,102.09 करोड़) का 6.01 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 में 5.25 प्रतिशत) था। इन 46 मुख्य शीर्षों में से 30 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उल्लेखनीय प्राप्तियां (20 प्रतिशत व अधिक) बुक की गई। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 84 प्रतिशत बुकिंग चार मुख्य शीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष-0039: ₹ 107.46 करोड़, मुख्य शीर्ष-0045: ₹ 220.53 करोड़, मुख्य शीर्ष-0801: ₹ 1,428.28 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष-1054: ₹ 169.53 करोड़) के तहत बुक की गई। ऐसी बुकिंग में अकेले मुख्य शीर्ष-0801- विद्युत का भाग 62 प्रतिशत रहा।

माप से संबंधित मुद्दे

4.7 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षों हेतु उल्लेखनीय उचंत मदें सकल डेबिट व क्रेडिट शेष के रूप में **तालिका 4.5** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.5: उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2020-21		2021-22		2022-23	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	138.83	66.53	133.69	87.07	138.84	82.14
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**72.30 डेबिट**		**46.62 डेबिट**		**56.70 डेबिट**	
102	उचंत लेखा (सिविल)	1,854.36	223.31	767.15	271.88	373.26	338.42
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**1,631.05 डेबिट**		**495.27 डेबिट**		**34.84 डेबिट**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	0.42	00.37	00.05	00.00	00.05	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**0.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**	
110	रिज़र्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	2.24	2.26	26.53	00.00	27.32	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**0.02 क्रेडिट**		**26.53 डेबिट**		**27.32 डेबिट**	
112	स्त्रोत पर कटौती उचंत	471.25	497.83	00.03	41.60	00.00	81.72
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**26.58 क्रेडिट**		**41.57 क्रेडिट**		**81.72 क्रेडिट**	
123	ए.आई.एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.73	0.04	00.81	00.03	00.84	00.03
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**0.69 डेबिट**		**00.78 डेबिट**		**00.81 डेबिट**	
129	सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	81.69	219.46	00.00	234.90	00.00	263.05
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**137.77 क्रेडिट**		**234.90 क्रेडिट**		**263.05 क्रेडिट**	
8782	**एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन**						
102	लोक लेखा प्रेषण	6,841.07	7,372.10	00.00	637.47	00.00	477.98
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**531.03 क्रेडिट**		**637.47 क्रेडिट**		**477.98 क्रेडिट**	
103	वन प्रेषण	0.03	16.81	00.00	16.67	00.00	16.67
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**16.78 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**	
8793	**अंतर-राज्य उचंत लेखा**						
101	अंतर-राज्य उचंत लेखा	4.14	0.02	00.03	00.00	00.08	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**4.12 डेबिट**		**00.03 डेबिट**		**00.08 डेबिट**	

स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658 के तहत लघु शीर्ष 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) एवं 110-रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं :

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्सरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2023) गत वर्ष के ₹ 46.62 डेबिट शेष से बढ़ कर ₹ 56.70 करोड़ हो गया।

सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा (लघु शीर्ष 129): 31 मार्च 2023 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 263.05 करोड़ का बकाया क्रेडिट शेष था। ऐसा मण्डलों द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त सामग्री के मूल्य के संबंध में लंबित समायोजन के कारण हुआ परन्तु इसका भुगतान अभी शेष है। इस राशि के निपटान/समायोजन पर राज्य के नकद शेष में वृद्धि होगी।

लोक निर्माण-कार्य प्रेषण (लघु शीर्ष 102): वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 477.98 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार में जमा होते हैं।

वन प्रेषण (लघु शीर्ष 103): इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.67 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार का नकद शेष घट जाएगा। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो वन मण्डल पार्टियों को जारी करते हैं।

वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष (लोक लेखा) के तहत भारी शेष राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में बुक नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

4.8 नकद शेष का मिलान

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का नकद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के लेखाओं के अनुसार ₹ 89.33 करोड़ (क्रेडिट) था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे ₹ 89.35 करोड़ (डेबिट) बताया। इस प्रकार ₹ 0.02 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर था, जिनका मिलान नहीं हुआ।

यह अंतर मुख्य रूप से लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग एवं एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आंकड़ों का मिलान न करने के कारण हुआ।

4.9 मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि

संहिता संबंधी प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण-कार्य मण्डलों को गैर-सरकारी एजेंसियों से निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप के तहत लघु शीर्ष 108 - लोक निर्माण-कार्य निक्षेप के अंतर्गत क्रेडिट करना अपेक्षित है। संबंधित निक्षेप कार्यों का व्यय भी उसी लेखा शीर्ष से किया जाता है। मण्डलों के मासिक लेखाओं में लोक निर्माण मण्डलों द्वारा ऐसे निक्षेपों की प्रेषण न की गई राशि राज्य के लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय शेष, 101-सिविल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है एवं तदोपरांत सरकारी खातों का भाग बनती है। हालांकि निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों का प्रेषण सरकारी लेखाओं में करने के बजाय वह लोक निर्माण मण्डलों द्वारा संचालित मंडलाधिकारियों के बैंक खातों में रखी जा रही है और इसीलिए यह भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य के नकद शेष का भाग नहीं बनती।

वित्त लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2023 तक ₹ 0.16 करोड़ की छोटी राशि मुख्य शीर्ष 8671 (लोक लेखा) के अंतर्गत रखी थी।

डिस्क्लोज़र से संबंधित मुद्दे

4.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना एवं उनमें हुई कमियों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखा मानक	भारत सरकार लेखांकन मानक का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	भारत सरकार लेखांकन मानक -1:	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - डिस्क्लोज़र आवश्यकताएं	अनुपालन *(वित्त लेखाओं की विवरणी 9 व 20)*	क्षेत्र-वार ब्यौरे वित्त लेखों के विवरण 9 और 20 में दिए गए हैं।
2.	भारत सरकार लेखांकन मानक -2:	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन *(वित्त लेखाओं की विवरणी 10)*	वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
3.	भारत सरकार लेखांकन मानक -3:	सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	अनुपालन *(वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18)*	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे विवरण 7 व 18 में दिए गए हैं।

स्त्रोत: वित्त लेखे

4.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 18 स्वायत्त निकायों/प्रधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं **(परिशिष्ट 4.6)**। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

तालिका 4.7: 31 मार्च 2023 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे लंबित हैं	लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	9
2.	क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2019-20	3
योग			**12**

स्रोत: विभागीय आंकड़े/जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों (18 में से) के लेखे तीन से नौ वर्ष के मध्य की अवधि तक बकाया थे।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

4.12 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के परिच्छेद 88 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी (सितम्बर, 2023) तथापि केवल दो[1] निकायों/प्राधिकरणों (35 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की (परिशिष्ट 4.6)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था।

4.13 विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए। इसके तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों एवं निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

31 मार्च 2023 तक पाया गया कि बकाया लेखाओं (46) वाले 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों (एक कंपनी अर्थात् हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो परिसमापन के अधीन है, उसे शामिल नहीं किया गया) के लेखे 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए, जिनमें से छः[2] हानि उठाने वाली (घाटे वाली) कम्पनियां थीं (उनके अंतिम/गत लेखाओं के अनुसार)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे बकाया होने के बावजूद विगत तीन वर्षों के दौरान उन्हें ₹ 143.72 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की गई, जैसाकि **तालिका 4.8** में विवर्णित है।

---

1 हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टुटू, शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला।

2 (i) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड; (ii) हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम; (iii) हिमाचल प्रदेश एग्रो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड; (iv) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड; (v) हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा (vi) श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड

तालिका 4.8: हानि उठाने वाले व्यावसायिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों को दी गई बजटीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बजटीय सहायता						कुल		सकल योग
		2020-21		2021-22		2022-23				
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड	62.21	0.00	11.00	0.58	67.35	0.58	140.56	1.16	141.72
2	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
सकल योग		**62.21**	**0.00**	**13.00**	**0.58**	**67.35**	**0.58**	**142.56**	**1.16**	**143.72**

स्रोतः सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु रूपरेखा **तालिका 4.9** में दी गई है।

तालिका 4.9: बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु-रूपरेखा

वर्ष सीमा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या
0-1	4
2-3	7
4-5	4
> 5	1
योग	16

स्रोतः सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका 4.9 दर्शाती है कि राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (जो एक निष्क्रिय कंपनी है) के लेखे पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न देने से सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रह जाते हैं एवं लेखापरीक्षा संवीक्षा से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हो तो वे समय पर नहीं हो पाता। धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार एक तंत्र विकसित करें एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उनके नवीनतम लेखे (अर्थात् अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष) पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें राज्य सरकार की वित्तीय सहायता हेतु पात्र बनाया जा सकें।

अन्य मुद्दे

4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 23 व 24 में प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी चल व अचल संपत्ति, जैसा भी मामला हो, की हानि के कारण की विस्तृत जांच करेगा तथा विस्तृत जांच पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। नियम 145(5) में निर्धारित है कि यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल ख़राब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

31 मार्च 2022 तक ₹ 52.32 लाख से जुड़े दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के 31 मामले पाए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें से ₹ 2.76 लाख राशि (अर्थात् वन विभाग से संबंधित ₹ 1.10 लाख का एक मामला: एवं भू-राजस्व विभाग से संबंधित ₹ 1.66 लाख की आंशिक राशि) का समायोजन/निपटान कर दिया गया। हालांकि 31 मार्च 2023 तक ₹ 49.56 लाख से अंतर्विष्ट 30 मामले अभी भी लंबित थे। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	03	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	19	15.84
भू-राजस्व	01	0.91	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	0.91
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम, चम्बा	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	03	25.43
गृह रक्षक	02	25.37			
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95			
वन	03	4.82	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	06	6.96
लोक निर्माण	15	11.17			
			अन्य	01	0.42
योग	**30**	**49.56**	**योग**	**30**	**49.56**

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करें।

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा एवं सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या **तालिका 4.11** में सारांशित की गई है।

तालिका 4.11: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा		
वर्ष सीमा	**मामलों की संख्या**	**अंतर्ग्रस्त राशि**
0-5	1	0.40
5-10	2	4.41
10-15	5	4.81
15-20	2	1.01
20-25	7	31.01
25 व अधिक	13	7.92
योग	**30**	**49.56**

लंबित मामलों की प्रकृति		
	मामलों की संख्या	**अंतर्ग्रस्त राशि**
चोरी के मामले	6	3.78
सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	24	45.78
कुल लंबित मामले	**30**	**49.56**

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के कुल 30 मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुरुपयोग/हानि से संबंधित हैं एवं शेष 20 प्रतिशत चोरी के मामले थे। इन 30 मामलों में से 63.33 प्रतिशत (19 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि सभी 30 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें ऐसे 20 मामले भी शामिल थे, जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे।

सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.15 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश राज्य में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (सुओ-मोटो नोट्स) संबंधित (लाइन) विभागों से लेना अपेक्षित है। लाइन विभागों से इसकी एक प्रति महालेखाकार को भी देनी अपेक्षित है ताकि उसकी जांच की जाएं एवं यदि कोई आगामी अभ्युक्तियां हो तो उसे लोक लेखा समिति को आगे प्रेषित की जा सके।

वर्ष 2008-09 से हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स वर्ष 2019-20 तक प्रस्तुत किए। वर्ष 2020-21 व 2021-22 हेतु एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स अभी भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित (नवंबर 2023) थे। वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जानी अभी भी शेष है।

4.16 राजकोषीय हस्तांतरण पर छठे हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 की अधिनियम संख्या 4) की धारा 98 (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I व Y के तहत छठे हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग का गठन (अगस्त 2020) किया। आयोग ने वर्ष 2022-23 हेतु अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 2022 में एवं 31 मार्च 2027 तक की अक्टूबर 2022 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सिफारिश की -

- राज्य के स्व-राजस्व में कोई अंश निर्दिष्ट करने के बजाय अंतर पूर्ति अनुदान हस्तांतरित किया जा सकता है;
- राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्ध देयताओं में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि;
- अनुदान जनसंख्या का 90 प्रतिशत एवं क्षेत्र के 10 प्रतिशत अथवा स्थानीय निकाय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हस्तांतरित किया जाएं;
- निधियों को 90 प्रतिशत मूल अनुदान एवं 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान में विभाजित किया जाएं।

विभाग ने बताया कि उपरोक्त सभी सिफारिशें (पहली सिफारिश को छोड़कर) लागू कर दी गई हैं।

4.17 निष्कर्ष

₹ 4,242.51 करोड़ राशि (4,106 उपयोगिता-प्रमाणपत्र) के उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु प्रतीक्षित (लंबित) थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्ववर्ती अनुदानों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। दो स्वायत्त निकायों एवं 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों ने काफी लम्बी अवधि तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका तथा सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रहे। इसके अतिरिक्त चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के 30 मामलों में विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लम्बित थी।

4.18 सिफारिशें

1. ***सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।***
2. ***स्वायत्त निकायों व विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों को उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु उनके वित्तीय लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग एक तंत्र स्थापित करें।***
3. ***सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध ढांचा बनाएं तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करें।***